फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

रितेश वगै. बनाम रमेश वगै.
किस्म मुकदमा : प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा
मुकदमा नम्बर : 134 / 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.05.2026	पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील अप्रार्थी संख्या 7 उपस्थित। प्रकरण में वास्ते आदेश आज की तिथि नियत है। प्रार्थी द्वारा इस प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के जरिये ग्राम रलावता तहसील दौसा (हाल तहसील भाण्डारेज) स्थित प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 220, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 403, 404, 407, 623, 624, 634, 635, 636, 637, 726 एवं खसरा नम्बर 771, 775, 780, 784, 786, 828, 829, 977, 993 एवं खसरा नम्बर 157, 158, 159 / 1009 के संबंध में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। प्रकरण में बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के संबंध में तथ्य निम्न प्रकार हैं :– **प्रथम दृष्टया मामला :** पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी आधार सम्वत् 2070–2073 (वर्ष 2019 से स्थायी) अनुसार ग्राम रलावता तहसील दौसा (हाल तहसील भाण्डारेज) स्थित प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 220, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 403, 404, 407, 623, 624, 634, 635, 636, 637, 726 के हिस्सा 1 / 12 एवं खसरा नम्बर 771, 775, 780, 784, 786, 828, 829, 977, 993 के हिस्सा 1 / 34 एवं खसरा नम्बर 157, 158, 159 / 1009 के हिस्सा 13 / 146 की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना प्रमाणित होता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में साबित होता है। **सुविधा का सन्तुलन :** प्रार्थी द्वारा इस पत्रावली से संबंधित दावा पत्रावली में प्रश्नगत आराजी के संबंध में उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। प्रार्थीगण का कथन है कि प्रश्नगत आराजी पैतृक आराजी है। प्रश्नगत आराजी अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में थी किन्तु प्रार्थीगण का उसमें नोशनल शेयर है। नोशनल शेयर होने के कारण पैतृक भूमि में प्रार्थीगण भी सहखातेदार हैं। अप्रार्थी संख्या 1	उपखण्ड अधिकारी दौसा (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

ने भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में कर दिया है। पत्रावली पर उपलब्ध पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 10.03.2021 अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में किया जाना पाया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी अनुसार ग्राम रलावता तहसील दौसा (हाल तहसील भाण्डारेज) स्थित प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 220, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 403, 404, 407, 623, 624, 634, 635, 636, 637, 726 के हिस्सा 1/12 एवं खसरा नम्बर 771, 775, 780, 784, 786, 828, 829, 977, 993 के हिस्सा 1/34 एवं खसरा नम्बर 157, 158, 159/1009 के हिस्सा 13/146 की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना प्रमाणित होता है। जहाँ तक प्रश्नगत आराजी का पैतृक आराजी होना एवं प्रार्थीगण के हित निहित होने के प्रश्न है। यह बिन्दु दावा पत्रावली में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित किया जाना संभव है। प्रकरण के इस स्तर पर प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में अपने हिस्से की भूमि का बेचान किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में यदि दावा पत्रावली में प्रार्थीगण भविष्य में अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहते हैं एवं इस प्रकरण में प्रश्नगत आराजी पर अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जाती है, तो संभवतः प्रश्नगत आराजी के खुर्द बुर्द होने की अधिक संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को असुविधा होने की संभावना प्रतीत होती है। अतः सुविधा सन्तुलन का बिन्दु प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में साबित होता है।

अपूर्णीय क्षति : सुविधा सन्तुलन का बिन्दु प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में साबित होने के फलस्वरूप अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में निर्धारित किया जाता है।

निष्कर्षतः प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में एवं सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी एवं अप्रार्थी सख्या 2 के पक्ष में साबित होने के फलस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम रलावता तहसील दौसा (हाल तहसील भाण्डारेज) स्थित प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 220, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 403, 404, 407, 623, 624, 634, 635, 636, 637, 726 एवं खसरा नम्बर 771, 775, 780, 784, 786, 828, 829, 977, 993 एवं खसरा नम्बर 157, 158, 159/1009 में अप्रार्थी संख्या 2 को अपने हिस्से के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु इस पत्रावली से संबंधित दावा पत्रावली के निर्णय तक पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

Scanned with OKEN Scanner